कार्यालयः– जिला परिषद, लातेहार।

आम सूचना

निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा विभाग) झारखण्ड, रांची के पत्रांक 314 दिनांक 20.05.2016 के आलोक में सनिपरब एवं सुबह–सवेरा कार्यक्रम शुरू किया जाना है–

1. इसके तहत् शनिवार को जिला मुख्यालय के किसी सार्वजनिक स्थल पर सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे के बीच भजन एवं शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया जाना है तथा संध्या में सनिपरब के नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
2. सनिपरब के अन्तर्गत माह के **पहले** एवं **तीसरे शनिवार** को **पारम्परिक लोक गीत** एवं **लोग नृत्य** का आयोजन किया जाना है जबकि माह के **दूसरे शनिवार** को **शास्त्रीय संगीत/उप शास्त्रीय संगीत** एवं **नृत्य** का आयोजन होगा एवं **चौथे शनिवार** को **नाटकों** को मंचन किया जाना है। इस तरह सभी विधाओं के कलाकारों को अपने–अपने विद्या का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकेगा।
3. सनिपरब में प्रत्येक शनिवार को जिला मुख्यालय में इसी जिला के अधिकतम तीन सांस्कृतिक दलों से कार्यक्रम प्रस्तुत कराया जाएगा। पारम्परिक नृत्य दल में कलाकारों की संख्या न्यूनतम 15–20 होगी। चयनित सांस्कृतिक दल को मानदेय के रूप में 10,000/– रूपये का भुगतान किया जाएगा। जिसके द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत की जाएगी।
4. सुबह–सवेरा कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को प्रति सप्ताह एक मुश्त 10,000/– रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा।
5. जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले कलाकारों/दलों का पैनल तैयार किया जाएगा एवं **"पहले आओ–पहले पाओं"** के आधार पर कलाकारों/दलों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।
6. उपरोक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले लातेहार जिले के कलाकार अपना पूर्ण जीवनवृत (Biodata) दिनांक 20.07.2016 तक जिला परिषद कार्यालय, लातेहार में डाक अथवा हाथों–हाथ जमा कर सकते है।

विहित प्रपत्र

1. नाम :–...
2. पिता/पति का नाम :–...
3. ग्राम/मोहल्ला :–...
4. पोस्ट :–...
5. जिला :–...
6. मोबाईल नम्बर :–...
7. ई–मेल पता :–...
8. आधार नम्बर :–...
9. बैंक खाता संख्या :–...
10. I.F.S.C. Code :-...
11. किस विद्या में भाग लेना चाहते हैः– (भजन/शास्त्रीय संगीत/लोकनृत्य/जनजातिय नृत्य/नाटक/वाद्ययंत्र वादक)
12. किस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैंः– (सुबह सवेरे/शनिपरब)
13. आवेदक का हस्ताक्षर

25/6/0

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।